संक्षिप्त पर महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राही रहे सतर्क एवं सावधान

स्वदेश,बेमेतरा। छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत हितग्राहियों को आवास की स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, भौतिक सत्यापन पश्चात किया जा रहा है। स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं पूर्व में किए गए सर्वे के आधार पर जो भी हितग्राही पात्र है। उसका नाम अंतिम रूप से फाइनल किया जा चुका है। इसमें किसी प्रकार का बदलाव किसी अधिकारी / कर्मचारी के द्वारा संभव नहीं है। फलस्वरूप यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी या कोई व्यक्ति किसी का नाम जूड़वा देने का दावा करता है तो वह झूठ बोल रहा है।

जो पात्र है उसे आवास की स्वीकृति अपने आप मिल रही है। उनके खाते में भी राशि अपने आप आएगी। कोई भी हितग्राही किसी के भी झांसे में मत आएं।

बेमेतरा के एक स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित, निलंबित

स्वदेश,बेमेतरा। जिला शिक्षा अधिकारी और सहायक संचालक ने आज 19 सितंबर को नवागढ़ विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला छितापार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री हेमन चतुर्वेदी, सहायक शिक्षक (एलबी) उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर शाला में अनुपस्थित पाये गये। इससे पहले पिछले माह 28 अगस्त को तहसीलदार, व तहसील नवागढ़ के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान भी शिक्षक हेमन चतुर्वेदी, उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर कर शाला में अनुपस्थित थे। इस संबंध में स्कूल के प्रधानपाठक ने लिखित में जानकारी दी गयी है कि श्री हेमन चतुर्वेदी, सहायक शिक्षक एल.बी. शाला आने के बाद शाला समय तक स्कूल में अपनी उपस्थिति नहीं देता है तथा बच्चों को पढ़ाई नहीं कराता है।

23 एवं 24 सितम्बर को होगा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन

स्वदेश,कोण्डागांव। रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोण्डागांव द्वारा 23 सितम्बर 2024 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मर्दापाल एवं 24 सितम्बर 2024 को जनपद पंचायत केशकाल में समय पूर्वान्ह 10:30 बजे से सायं 3:00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जायेगा। इस प्लेसमेंट कैम्प में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा 350 रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि गार्डियन्स सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में सिक्योरिटी गार्ड के 300 पदों के लिए 12वीं एवं स्नातक, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 50 पदों के लिए 12वीं एवं स्नातक में एनसीसी के साथ 1 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। पात्र एवं इच्छुक युवक अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता, रोजगार पंजीयन, निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि मूल दस्तावेज के छांयाप्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सहित उक्त दिवस को प्लेसमेंट कैम्प में उपस्थित होकर रोजगार के अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट

अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई अनुसंधान से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी सशक्त उपस्थिति : साय

स्वदेश संवाददाता, रायपुर

ख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय कैबिनेट में जनजातीय समुदाय के उत्थान, किसानों और उपभोक्ता कल्याण के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया है। केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा बुधवार को 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' को स्वीकृति और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इन निर्णयों का लाभ प्रदेशवासियों को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बीती देर रात प्रधानमंत्री के प्रति आभार करते हुए कहा है कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में 'प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान' को मिली स्वीकृति ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री के इस मिशन से देश के 63,000 से अधिक आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के आदिवासी गांवों के लोगों जीवन-स्तर में सुधार एवं समृद्धि आएगी। निश्चित ही इसका लाभ हमारे प्रदेश के जनजातीय भाई-बहनों को मिलेगा। जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का सहृदय आभार और देश-प्रदेश के समस्त जनजातीय भाई-बहनों को ढेरों शुभकामनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना' को वर्ष 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जो अत्यंत सराहनीय है। इस योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय व्यय से अन्नदाता किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। निश्चित ही हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। कृषक और उपभोक्ता कल्याण को समर्पित इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्नदाता किसान भाई-बहनों को निरंतर सस्ती दरों पर खाद की आपूर्ति के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को स्वीकृति प्रदान की है। 2024 के रबी सीजन हेतु फॉस्फेटिक और पोटाश (पी एंड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरें तय करने के इस पहल से किसानों को किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। जिसका लाभ हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लिए गए निर्णयों की भी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान - 4 मिशन को स्वीकृति दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना सहित गगनयान फॉलो-ऑन मिशन को भी स्वीकृति दी है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह सभी निर्णय भारत की सशक्त उपस्थिति को दर्शाता है। इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री का आभार और समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं।

शासकीय अस्पतालों में स्थित पैथोलॉजी लैब को करें सुदृढ़ : स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल

स्वदेश संवाददाता, रायपुर

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश देते हुए कहा है कि वह एक महीने के भीतर अपने जिले में संचालित निजी पैथोलॉजी सेंटर की सूची तैयार करें। उन्होंने यह निर्देशित किया कि इनमें से अनियमित पैथोलॉजी लैब को एक वर्ष के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जाए। यदि इन पैथोलैब के पास वैध दस्तावेज नहीं हैं तो इन्हें आयुष विश्वविद्यालय से डिप्लोमा का कोर्स करने का मौका दिया जाएगा ताकि एक वर्ष के भीतर नियमित हो जाएं। जायसवाल ने शासकीय अस्पतालों में स्थित पैथोलॉजी लैब को और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए ताकि मरीजों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज अपने शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में राज्य के सीएमएचओ, सीएस,नोडल अधिकारी तथा डीपीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, एमडी एनएचएम जगदीश सोनकर तथा एमडी सीजीएमएमसी पद्मिनी भोई भी उपस्थित थीं।वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निजी प्रेक्टिस करने की शिकायतों को लेकर हिदायत दी है। जायसवाल ने कहा है कि शासकीय चिकित्सकों को नियमानुसार भत्ता भी दिया जा रहा है, इसके बाद भी यदि चिकित्सक नियम विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए जायसवाल ने कहा कि अब शासकीय अस्पतालों से मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर करने के लिए ठोस कारण बताना होगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पडने पर रेफर करने के कारणों का रिव्यू भी किया जायेगा और यह पता लगाया जाएगा कि आखिर किन परिस्थितियों में अस्पताल ने मरीज को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर किया।स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो तीन माह के भीतर राज्य में मोदी की गारंटी के अंतर्गत 500 जन औषधि केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर लें ताकि जनता को जल्दी ही सस्ती दवा उपलब्ध कराई जा सके।

खेल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है सरकार : टंकराम वर्मा

स्वदेश,रायपुर। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए खेल युवा कल्याण मंत्री श्री टंक राम वर्मा आज बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आयोजित 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तीसरे दिन में शामिल हुए। इस दौरान रग्बी, कुराश एवं फेंसिंग खेल का आनंद लिया साथ ही विजयी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए पुरस्कृत किए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्री चित्तावर जायसवाल, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सुमन योगेश वर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन, स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष श्री विजय केशरवानी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित

स्वदेश संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह के निर्देश पर तथा सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में आज यहां अटल नगर नवा रायपुर स्थित राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में वीसी के माध्यम से राज्य के सभी जिले के प्रोग्रामर तथा मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी प्रशिक्षिणार्थियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने कहा गया। आयोग द्वारा आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए एक सटीक और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित करने यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण में प्रोगामरों को मतदाता सूची के सॉफ्टवेयर, डिजिटल उपकरणों के प्रयोग और डाटा एन्ट्री से संबंधित जानकारी दी गई है तथा मास्टर ट्रेनरों को चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनिंग दी गई ताकि वे निर्वाचन अधिकारियों को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षित कर सके। प्रशिक्षण में मतदाता सूची का डिजिटल प्रबंधन, आयोग द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर एवं तकनीकी टूल्स का इस्तेमाल कर मतदाता सूची को सही एवं सटीक तरीके से अद्यतन करने के बारे में बताया गया। जिसमें नये पंजीकरण, सूची से मृत तथा अवैद्य नामों को हटाने एवं सूची में किसी भी प्रकार के सुधार के प्रावधान शमिल किए गए। प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि कोई भी गलत नामांकन या त्रुटिपूर्ण डाटा चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित न करें।

कांग्रेस ने 21 को छत्तीसगढ़ बंद का किया आह्वान

स्वदेश,रायपुर। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और कवर्धा की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने शनिवार 21 सितंबर को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कवर्धा के लोहारीडीह गया था। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित वरिष्ठ नेता शामिल थे। कांग्रेस के नेतागण पुलिस अभिरक्षा में मृत प्रशांत साहू की अंत्येष्टि में शामिल हुये तथा परिजनों से भी मिले। परिजनों ने पुलिस के मारपीट के कारण प्रशांत की मौत होने का आरोप लगाया।

आश्रम छात्रावासों में अधीक्षक निवास करना सुनिश्चित करें: बिपीन मांझी

स्वदेश संवाददाता, नारायणपुर

कलेक्टर बिपिन मांझी ने आदिवासी विकास विभाग के द्वारा संचालित आश्रम छात्रावासों के अधीक्षकों की समीक्षा करते हुए जिले के समस्त आश्रम छात्रावासों में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश सहायक आयुक्त बद्रीश सुखदेवे को दिए। बैठक में उपस्थित अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के प्रभारी सीईओ श्री बीरेंद्र बहादुर पंचभाई एवं एसडीएम वासु जैन ने जिले में संचालित आश्रम छात्रावासों की व्यवस्था के संबंध में समीक्षा करते हुए कहा कि सोलर लाइट, गददा, तकिया, पलंग की कमी को दूर करने के लिए सूची बनाकर प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने निर्देशित किये। उन्होंने मसपुर के आश्रम में पेयजल की व्यवस्था शीघ्र उपलब्ध कराने निर्देशित किया।

कलेक्टर श्री मांझी ने आश्रम छात्रावासों में फलदार पौधे मुंनगा, नींबू, नारियल आम, जामुन कटहल और चीकू लगाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि आश्रमों के बच्चों को खेलकूद में दक्ष बनाने के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी आदि खेल खिलाने की समीक्षा की। उन्होंने सभी आश्रम छात्रावास में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आश्रम छात्रावास के अधीक्षक रात को आश्रम में ही रहने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने पर संबंधित आश्रम छात्रावासों के अधीक्षकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिले में संचालित 123 आश्रम छात्रावासों के अधीक्षकों से कहा कि जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के माध्यम से नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध करावें। उन्होंने महिला आश्रम में महिला सैनिक की व्यवस्था शीघ्र करने के निर्देश सहायक आयुक्त को दिए।

बस्तर दशहरा के नए रथ निर्माण के लिए लकड़ियां पहुंचनी शुरू हुई

स्वदेश संवाददाता, जगदलपुर

रियासत कालीन बस्तर दशहरा के लिए नए रथ निर्माण के लिए लकड़ियां पहुंचनी शुरू हो गई है। इन लकड़ियों को जगदलपुर के सिरहासार भवन के पास तहसील के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से रखवाया गया। लकड़ियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है जो तीन से चार दिनों तक चलेगा। आज गुरूवार को पहले दिन 6 ट्रकों से लकड़ियां लाई गई। एक-दो दिनों में कारीगर पहुंचकर रथ निर्माण शुरू कर देंगे। तहसील के कर्मचारियों ने बताया कि, रथ कारीगरों को जगदलपुर आने के लिए निमंत्रण भेज दिया गया है। उम्मीद है कि वे 22 सितंबर तक आ जाएंगे। इसके बाद इस वर्ष 8 चक्कों वाला विजय रथ का निर्माण किया जाएगा। इस रथ को बनाने के साथ ही इससे पहले 4 चक्के वाला फूल रथ का सुधार कार्य किया जाएगा। बस्तर दशहरा में रथ निर्माण के लिए पिछले साल 8 से 10 ग्रामों पुशपाल, माचकोट, नानगुर, नेगानार, दरभा, पंडरीपानी, बिरिंगपाल और चित्तालूर से लकड़ी लाई गई थी। इस साल इसके साथ ही अन्य गांव से लकड़ी जाएगी। उल्लेखनीय है कि, रथ निर्माण के लिए लकडियां लाने संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, आरआई और राजस्व कर्मियों को जिम्मेदारी दी गई है।

बस्तर वनमण्डल के अंतर्गत 100 हेक्टेयर रकबा में पौधरोपण

रोजगार को बढ़ावा देने किया जा रहा शीशल रोपण

स्वदेश संवाददाता, जगदलपुर

वर्तमान में शीशल उद्योग छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी संचालित नहीं है। ऐसे में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सचिव सहकारिता विभाग डॉ.सीआर प्रसन्ना के द्वारा बस्तर जिले के प्रवास कार्यक्रम के दौरान दिए गए निर्देशानुसार वन परिक्षेत्र बस्तर के अन्तर्गत कोलचूर बीट के कक्ष क्रमांक पी. 1442 नया 532 रकबा 50 हेक्टेयर में भरनी के पास शीशल रोपण किया गया है। ग्राम भरनी में रान बांस डोरी उद्योग समिति बना हुआ है। वनमण्डलाधिकारी बस्तर के द्वारा ग्राम भरनी का दौरा कर तत्काल शेड निर्माण कार्य और मशीन लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसके अनुरूप ग्राम भरनी में शेड निर्माण के पश्चात शीशल प्रसंस्करण का कार्य किया जा रहा है। बस्तर वनमण्डल के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र बकावण्ड के ढोढरेपाल में 50 हेक्टेयर रकबा में 11000 शीशल रोपण एवं वन परिक्षेत्र बस्तर अन्तर्गत भरनी में 50 हेक्टेयर में 11000 शीशल रोपण किया गया था। बस्तर वनमण्डल में कुल 100 हेक्टेयर रकबा में 22000 शीशल रोपण का कार्य वृहद रूप से किया गया है जिससे समिति को रॉ-मटेरियल भरपूर मिल सकेगा और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

मैं शीशल नहीं रोजगार हूं

मेरा नाम अगेव शिशलाना है लोग मुझे केकती, रान बांस या शीशल के नाम से जानते हैं मैं बहुत ही कम पानी से अपना जीवन चला सकती हूं, परन्तु अपने शरीर के भीतर पर्याप्त जल संग्रहण कर रखती हूं जहां मैं रहती हूं, उस स्थान पर भूमि नम रहती है, एक बार जब मुझे रोपण कर दिया जाता है उसके पश्चात मेरी मृत्यु संभव नहीं है,

छत्तीसगढ शासन, जल संसाधन विभाग
कार्यालय कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्र. 3. माचाडोली, जिला कोरबा (छ.ग.)

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
eProcurement Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

(प्रथम आमंत्रण)

सिस्टम निविदा क्र. 158525 निविदा सूचना क्र. 10/व.ले.लि./ई प्रोक्युरमेंट/2024 25, दि 18-09-2024
निम्नलिखित कार्यों के लिए दिनांक 09-10-2024 समय 17:30 तक ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है
कार्य का नाम - हसदेव बांगो परियोजना अंतर्गत मिनीमाता बांगो बांध के मेसनरी बांध के बांये और दांये तट पर अपस्ट्रीम संरक्षण कार्य का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत रु. 1080.52 लाख
अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ शासन की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in पर दिनांक 25-09-2024 समय 17.31 बजे से देखे तथा डाउनलोड किय जा सकते है।
नोट निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://eproc.cgstate.gov.in पर नामांकित / पंजीयन तथा लोक निर्माण विभाग की एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अंतर्गत ठेकेदार को उपयुक्त श्रेणी में पंजीयन कराना अनिवार्य है। अन्य निविदा संबंधी शर्ते विभाग के साईट https://eproc.cgstate.gov.in में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है।

कार्यपालन अभियंता
मिनीमाता बांगो बांध संभाग क्र. 3. माचाडोली
जिला-कोरबा (छ.ग.)
जी-242502595/8

TATA
टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : पहली मंजिल पुजारी चेम्बर्स एनएच नं.43 पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु विक्रय सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) सपठित निय 9(1) के तहत)
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल), को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए **'जो है जहाँ है' और 'जहाँ है, जैसा भी है' और 'जो भी हैं' आधार** पर दिनांक **07-10-2024** को बिक्री की जायेंगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित हैं। एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन / बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **07-10-2024** को **दोपहर 2 बजे** बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **05-10-2024** को **समय सायं 5.00 बजे** तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पहली मंजिल पुजारी चेम्बर्स एनएच नं.43 पचपेड़ी नाका, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001** पर प्राप्त किए जायेंगे।
प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहाँ है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्रं.	ऋण खाता क्रं.	ऋणी(ओं)/सह-ऋणी(ओं)/कानूनी वारिस(ओं)/जमानतदार(ओं) के नाम	मांग सूचनानुसार राशि एवं मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	आधिपत्य का प्रकार
1	10468647 & 10474515	श्री राजेश कुमार रायचा, श्रीमती नीता रायचा	Rs.16,08,596.73/- (रुपये सोलह लाख आठ हजार पांच सौ छियानबे एवं तिहत्तर पैसे मात्र) ऋण अनुबंध संख्या 10468647 के अंतर्गत आपके द्वारा देय हैं एवं ऋण अनुबंध संख्या 10474515 के अंतर्गत आपके द्वारा Rs.21,18,906.53/- (रुपये इक्कीस लाख अठारह हजार नौ सौ छः एवं तिरेपन पैसे मात्र) देय हैं, अर्थात कुल Rs.31,58,217.53/- (रुपये इकतीस लाख अट्ठावन हजार दो सौ सत्रह एवं तिरेपन पैसे मात्र) एवं 10-11-2022	Rs. 31,50,000/- (रुपये इकतीस लाख पचास हजार मात्र)	Rs. 3,15,000/- (रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, अचल संपत्ति जो फ्लेट नंबर-सी-404, चौथी मंजिल, क्षेत्रफल 1008 वर्ग फीट, ''ग्रीन हाइट्स'', बसंतपुर स्टेडियम रोड (बीसी रोड), कोरिनभाटा वार्ड नंबर-39, खसरा नंबर-441, 442/1 का भाग, पी.सी. नंबर-36/24, आर.आई.सी- राजनांदगांव, तहसील एवं जिला- राजनांदगांव (छ.ग.) पर स्थित।
चर्तुसीमा:- पूर्व: - बी-401, पश्चिम:- सीढ़ी एवं मार्ग, उत्तर:- सी-403, दक्षिण:- खुला मार्ग

2	10534496	श्री प्रशांत कुमार सखारे, श्रीमती अनुसुइया सखारे	Rs. 29,46,205/- (रुपये उन्तीस लाख छियालीस हजार दो सौ पाँच मात्र) एवं 12-12-2022	Rs.33,85,000/- (रुपये तैंतीस लाख पिच्यासी हजार मात्र)	Rs.3,38,500/- (रुपये तीन लाख अड़तीस हजार पांच सौ मात्र)	भौतिक

अचल संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का समस्त भाग एवं अंश, भूमि के साथ उसपर निर्मित मकान, परिवर्तित खसरा नंबर-152/72, क्षेत्रफल- 0.020 हेक्टेयर 2400 वर्ग फीट, डायवर्टेड लगान 7.20 रुपये, मौजा- ग्राम- बघियाटोला (मोहल्ला-वार्ड-09, अंबेडकर वार्ड), पटवारी हल्का नंबर 38, एन.पी.पी- डोंगरगढ़, तहसील- डोंगरगढ़ एवं जिला- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) स्थित। **चर्तुसीमा:-** पूर्व: - नंदू गजभिये का मकान, पश्चिम:- मनोज इंदुरकर का मकान, उत्तर:- कुसुम सहारे का मकान, दक्षिण:- रोड

नीलामी में, सर्वसामान्य जनता को व्यक्तिगत रूप से अपनी बोली (ओं) प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एतद् द्वारा कर्जदार (रों)/ सह-कजदार (रों) को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से **15 दिनों** के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अंतिम मौका दिया जाता है, ऐसा न होने पर अचल संपत्तियों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बेचा जाएगा। यदि उपरोक्त बकाया राशि, ब्याज व लागतें (बिक्री की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास जमा करा दी जाती है या उसे प्रमाण देकर यह संतुष्ट कराया जाता है कि ऐसे प्रत्याभूत ऋण, ब्याज व लागत को चुकता कर दिया गया है, तो बिक्री रोक दी जायेगी।
इस बिक्री में संलग्न कोई भी अधिकारी या व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से न तो बोली कर सकता है और न ही उक्त बेची गई संपत्ति में कोई हित अधिग्रहीत कर सकता है या ऐसा करने का प्रयास नहीं कर सकता है। बिक्री बताई गई शर्तों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के तहत होगी।
कृपया ध्यान दें: ई-नीलामी पोर्टल http://bankauctions.in/ के माध्यम से दिनांक 07-10-2024 को दोपहर 2.00 बजे से 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 10 मिनट अवधि के असीमित विस्तार के साथ होगी।
नियम और शर्तें: 1. अनुसूची में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी के पूर्ण ज्ञान व जानकारी में दिया गया है, किंतु इस उदघोषणा अधोहस्ताक्षरी किसी त्रुटी, गलती या चूक के लिए अधोहस्ताक्षरी जवाबदेय नहीं होगा। बोली राशि या निविदाकार संबंधी किसी विवाद की स्थिति में अचल संपत्ति को दुबारा नीलामी के लिए रखा जायेगा। **2.** संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। **3.** बोली वृद्धि राशि: **रु.10,000/-** (दस हजार मात्र) **4.** संपत्ति की खरीद के लिए सभी निविदाएँ **'टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड'** के पक्ष में और उपरोक्त शाखाओं में देय डिमांड ड्राफ्ट के साथ जमा की जाएं। असफल निविदाकारों के डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जायेंगे। आरटीजीएस/ एनईएफटी/ आईएमपीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। **5.** उच्चतम बोलीकारी को संबंधित लॉट का खरीदार घोषित किया जायेगा, बशर्ते वह विधिक रूप से बोली लगाने के लिए योग्य हो और उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से उच्चतम बोली को अस्वीकार करने का अधिकार होगा जब उसे लगे कि पेशकश मूल्य स्पष्टरूप से अपर्याप्त है। **6.** उपलब्ध कारणों से 'प्राधिकृत अधिकारी' को अपने विवेक से बिक्री को स्थगित / रोकने का अधिकार होगा। **7.** संपत्ति की निरीक्षण दिनांक **25-09-2024 को सुबह 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे** तक किया जा सकेगा। **8.** खरीददार घोषित व्यक्ति को ऐसी घोषणा के तुरंत बाद क्रय राशि की पच्चीस प्रतिशत राशि जिसमें ईएमडी राशि शामिल होगी प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के अंदर जमा करनी होगी, यह राशि जमा न किए जाने की स्थिति में संपत्ति नई नीलामी/निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। **9.** उपरोक्त अनुसार प्रारंभिक राशि जमा कर दिए जाने पर क्रय राशि की शेष राशि संपत्ति की बिक्री की पुष्टि होने की तारीख से 15 दिनों तक खरीदार द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी को जमा करनी होगी, यदि 15वें दिन कोई रविवार या अन्य अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्य दिवस को जमा करनी होगी। **10.** उपरोक्तानुसार भुगतान न होने पर संपत्ति नई नीलामी / निजी संधि द्वारा बिक्री के लिए रखी जायेगी। समी जमा राशि टाटा कैपीटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास जब्त हो जायेगी और चूककर्ता खरीदारें संपत्ति पर अपने समी दावे खो देगा। **11.** टाटा कैपिटल हाउसिंग फाईनेंस लि. को ज्ञात